**लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन**

**अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग** के माह 12/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित श्री आर.एन. यादव एवं श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 02/05/2016 से 09/05/2016 तक में सम्पन्न लेखापरीक्षा का डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

## भाग-प्रथम

**प्रस्तावनाः-**

1. इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्वश्री मनोज कुमार नेगी, स.ले.प.अ. व श्री रवीन्द्र कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 23/12/2014 से 30/12/2014 तक श्री दिनेश रमोला, सम्प्रेक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 23/12/2014 से 30/12/2014 तक में सम्पन्न हुयी थी जिसमें खण्ड के माह 11/2011 से 11/2014 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2014 से 03/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं नें खण्ड का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. श्री शैलेन्द्र कुमार वसलियाल – 02.09.2014 से 29.06.2015 तक
2. श्री अरविन्द सिंह नेगी - 29.06.2011 से 20.07.2015 तक
3. श्री रामबाबू सिंह - 20.07.2015 से वर्तमान तक

3. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहेः-

1- श्री आलोक कुमार – 24.07.2014 से वर्तमान तक

4. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा खण्ड का गत सम्प्रेक्षण से, अब तक की अवधि के दौरान का निरीक्षण। -

5- खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक/वार्षिक लेखाबन्दी माह 09/2015 तथा यंत्र संयंत्र लेखों की अर्द्धवार्षिक/वार्षिक लेखाबन्दी माह 09/2015 में की गई।

6- फार्म 51: माह 03/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम रू0 – 17945
भाग द्वितीय रू0 – 94630

7- खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 04/2016 के अन्त में

| | | |
|---|---|---|
| (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम | रू0 | 406910.64 |
| (ख) सामग्री क्रय | रू0 | शून्य |
| (ग) नकद परिशोधन | रू0 | शून्य |
| (घ) निक्षेप | रू0 | 242,26,109.00 |

8- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

| क्र0सं0 | लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष | अनिस्तारित कण्डिकाएं | |
|---|---|---|---|
| | | भाग दो 'अ' | भाग दो 'ब' |
| 1. | 28/1987-88 | - | 1 |
| 2. | 17/88-89 | - | 1,2 |
| 3. | 90/89-90 | - | 2,5 |
| 4. | 53/90-91 | 1 | - |
| 5. | 172/91-92 | - | 1,2,3 |
| 6. | 02/2000-01 | - | 1 |
| 7. | 16/02-03 | - | 2,3 |
| 8. | 09/03-04 | 1 | 2 |
| 9. | 16/02-03 | 1 | 2 |
| 10. | 62/05-06 | 1 | - |
| 11. | 51/08-09 | 1,2 | 1,2,3,4,5 |
| 12. | 23/2010-11 | - | 1 |
| 13. | 57/2011-12 | 1,2,3 | 1,2,3 |
| 14. | 74/2014-15 | - | 1,2,3,STAN-1 |

9. अप्रस्तुत अभिलेखः- Contractors' ledger, MB No. 659, Work abstract.

10. सतत अनियमिततायेः- शून्य

11. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(` लाख में)

| क्रम संख्या | वर्ष | मुख्य लेखा शीर्ष | कुल आवंटन | | कुल व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्लान | नान प्लान | प्लान | नान प्लान |
| 1. | 2013-14 | 2701,2702,2711,2245,4700,4711 ,4701,8443 | 720.01 | 882.22 | 681.37 | 872.74 |
| 2. | 2014-15 | 2701,2702,2711,2245,4700,4711 ,4701,8443 | 1801.84 | 1166.63 | 1779.55 | 1106.25 |
| 3. | 2015-16 | 2701,2702,2711,2245,4700,4711 ,4701,8443 | 1701.56 | 869.98 | 1695.24 | 748.69 |

## भाग दो 'ब'

**प्रस्तरः1- विविध प्रकीर्ण अग्रिम के रूप में ` 4.07 लाख की धनराशि का वसूली/समायोजन न होना।**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 1997 से लेकर वर्तमान तक विभिन्न वर्षों से शासकीय कर्मचारी, ठेकेदार, फर्म आदि के नाम विविध प्रकीर्ण अग्रिम के रूप में ` 406910.26 की धनराशि वसूल नहीं की जा सकी थी अथवा असमायोजित पड़ी हुई थी।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया कि समायोजन हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वांछित धनराशि का समायोजन बहुत वर्षों से नहीं हो पाया था और न ही न वसूल की जा सकने योग्य राशि को Write off करने की कार्यवाही की जा रही थी। जिन व्यक्तियों के नाम असमायोजित धनराशि विविध प्रकीर्ण अग्रिम के रूप में पड़ी है उनमें विभागीय कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। अतः ` 406910.26 की प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली/समायोजन न होना विभागीय लापरवाही का द्योतक है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग दो 'ब'**

**प्रस्तरः2- डिपाजिट मद में ` 2.42 करोड़ की धनराशि का अनिस्तारित/अवरूद्ध पड़े रहना।**

FHB Vol-VI प्रस्तर 613 – Security deposits of subordinates and contractors, whether made in cash or in one of the forms of security referred in Para 614 are covered by a bond or agreement setting forth the condition, under which the security is held and may be ultimately refunded or appropriated.

प्रस्तर 622(iii) balances unclaimed for more than three complete account year should be carried to the revenue of the state as lapsed deposits.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय में विभिन्न वर्षों से डिपाजिट शीर्षक में ` 2,42,26,109 की धनराशि अवरूद्र/असमायोजित पड़ी हुई थी। जिसमें भाग-1 में ` 2844, भाग-II में ` 65,79,001, भाग-III में ` 1,71,11,311, भाग-IV में ` 110139 तथा भाग-V में ` 4,22,814 थी धनराशि सम्मिलित है।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर खण्ड ने उत्तर दिया कि विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया जायेगा। दैवी आपदा मद में प्राप्त ` 79,85,000 की धनराशि मार्च 2016 में प्राप्त हुई है। भाग-II में अपूर्ण कार्यों की धनराशि ही अवशेष है। अन्य के संबंध में बताया गया कि संबंधित से पत्राचार किया जा रहा है व समायोजन की कार्यवाही की जा रही है।

खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भाग-III में माह 04/2010 से जिला योजना कार्य, जखोली बीज भण्डार निर्माण आदि की क्रमशः ` 231344, 170877 की धनराशियां असमायोजित हैं तथा इतने वर्षों उपरान्त भी कार्यपूर्ण नहीं किया गया है। यही नहीं भाग-III में यह 04/2010 से शंकराचार्य अस्पताल निर्माण हेतु ऋणात्मक धनराशि ` 58077 पड़ी हुई है। भाग-I में भी वर्ष 1978 से ` 2844 की धनराशि असमायोजित है। यही नहीं बल्कि भाग-Vमें व्यापार कर की ` 341752, Branch Manager Rudraprayag की ` 71265 आदि राशियां पड़ी हुई है।

अतः विभाग/खण्ड को उक्त राशियों के निराकरण की कार्यवाही करनी चाहिए थी तथा Lapsed deposits को Revenue में जमा किया जाना चाहिए था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो 'ब'

**प्रस्तरः3- ` 1.68 लाख की रायल्टी की धनराशि की वसूली न होने से राजस्व हानि।**

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 162/VII-11-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 द्वारा चिन्हित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरंग या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई मिली-जुली अवस्था में उपखनिज पर रायल्टी की दर ` 40/45 से बढाकर दुगनी अर्थात ` 80/90 प्रति घन मीटर कर दी गयी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कतिपय देयकों से रायल्टी की वसूली पुराने दर पर ही की गयी थी जिससे कि शासन को ` 167645 के राजस्व की व्यय प्राप्ति हुई थी (सूची संलग्न)।

इस संबंध में इंगित करने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि शासनादेश प्राप्त होने पर नयी दर से कटौती की जाने लगी तथा सम्प्रेक्षा दल द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन कर कार्यवाही की जायेगी।

अतः कम दर से रायल्टी वसूले जाने से हुई ` 167645 के राजस्व की हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II**